बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–

सं0–05/स्था0–01–19/2018...................../ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक सह–पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।– (1) यह नियमावली "बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम 2(ग) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–2 का उपनियम (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग"।

3. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–4 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(4) सीधी भर्ती ।– संवर्ग में सीधी भर्ती केवल मोटरयान निरीक्षक के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायगी" ।

4. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–5 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(5) अर्हताएँ – संवर्ग में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हताएँ निम्नलिखित होंगी :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम); और

(iii) गियर वाली मोटर साईकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना" ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार अग्रवाल)

सरकार के सचिव,

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–19 / 2018 पटना,दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, ई–गजट शाखा को (दो प्रतियों मे सी0डी0सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ परिवहन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

ह0/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–19 / 2018 6302 पटना,दिनांकः– 8/8/19

प्रतिलिपिः–राज्य सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडली आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

Govt. of Bihar

Transport Department

Notification

Patna-15, Dated-

No.:-05/Astha-01-19/2018------------------/In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003 :-

1. Short title, extension and commencement- (1) These Rules may be called The Bihar transport (Technical) Cadre (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Substitution of Rule-2(c) of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Sub rule (c) of Rule-2 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following :-

" (c) Commission" means "Bihar Public Service Commission."

3. Substitution of Rule-4 of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Rule-4 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following :-

"(4) Direct Recruitment- Direct Recruitment in the Cadre shall be made on the post of motor vehicles inspector on the basis of recommendation of the Bihar Public Service Commission."

4. Substitution of Rule-5 of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Rule-5 of the said. The Rules, 2003 shall be substituted by the following : -

"(5) Eligibility- The Minimum eligibility criterion for candidate for direct recruitment in the cadre on the post of motor vehicles inspector shall be the following :-

(i) 10th standard pass from any recognized Board: and

(ii) a Diploma in Automobile Engineering (three year course);

or

a Diploma in Mechanical Engineering (three year course), awarded by any institution recognized by the Central Government or State Government; and

(iii) holding a driving license authorizing to drive motor cycle with gear and light motor vehicles".

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-

(Sanjay Kumar Agarwal)

Secretary to the Government.

549 F:Ravi sir Letter

Memo No-05/Astha-01-19/2018 /Patna-15, Dated:-

Copy:- forwarded to Finance Department, E-Gazette Section (in two coppies with C.D) for publication in extra-ordinary issue of Bihar Gazette. He is also requested to send its 50 copies to Transport Department.

Sd/-

Secretary to the Government

Memo No-05/Astha-01-19/2018 6302 /Patna-15, Dated:- 8/8/19

Copy:-forwarded to All Department/All Head of the Department/ Secretrary, Bihar Public Service Commission, Patna/All Divisonal Commissioner/All District Officer/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information.

7/8/19

Secretary to the Government

Govt. of Bihar

Transport Department

Notification

Patna-15, Dated-

No.:-05/Astha-01-19/2018-------------------/In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003 :-

1. Short title, extension and commencement- (1) These Rules may be called The Bihar transport (Technical) Cadre (Amendment) Rules, 2019.

(2) It shall extend to the whole of State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Substitution of Rule-2(c) of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Sub rule (c) of Rule-2 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following :-

" (c) Commission" means "Bihar Public Service Commission."

3. Substitution of Rule-4 of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Rule-4 of the said Rules, 2003 shall be substituted by the following :-

"(4) Direct Recruitment- Direct Recruitment in the Cadre shall be made on the post of motor vehicles inspector on the basis of recommendation of the Bihar Public Service Commission."

4. Substitution of Rule-5 of the said The Bihar Transport (Technical) Cadre Rules, 2003.- Rule-5 of the said. The Rules, 2003 shall be substituted by the following : -

"(5) Eligibility- The Minimum eligibility criterion for candidate for direct recruitment in the cadre on the post of motor vehicles inspector shall be the following :-

(i) 10th standard pass from any recognized Board: and

(ii) a Diploma in Automobile Engineering (three year course);

or

a Diploma in Mechanical Engineering (three year course), awarded by any institution recognized by the Central Government or State Government; and

(iii) holding a driving license authorizing to drive motor cycle with gear and light motor vehicles".

By order of the Governor of Bihar,

Sd/-

(Sanjay Kumar Agarwal)

Secretary to the Government.

549 F-Ravi sir Letter

Memo No-05/Astha-01-19/2018 /Patna-15, Dated:-

Copy:- forwarded to Finance Department, E-Gazette Section (in two coppies with C.D) for publication in extra-ordinary issue of Bihar Gazette. He is also requested to send its 50 copies to Transport Department.

Sd/-

Secretary to the Government

Memo No-05/Astha-01-19/2018 /Patna-15, Dated:-

Copy:-forwarded to All Department/All Head of the Department/ Secretrary, Bihar Public Service Commission, Patna/All Divisonal Commissioner/All District Officer/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna for information.

Sd/-

Secretary to the Government

Memo No-05/Astha-01-19/2018 6302 /Patna-15, Dated:- 8/8/19

Copy:-forwarded to I.T Manager, Transport Department, Bihar Patna for information and necessary action.

7/8/19

Secretary to the Government

SSO F:\Ravi sir Letter

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक--

सं0–05/स्था0–01–19/2018..................../ भारत के संविधान के अनुच्छेद–309 के परंतुक सह–पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–213 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।– (1) यह नियमावली "बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।

2. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम 2(ग) का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–2 का उपनियम (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(ग) "आयोग" से अभिप्रेत है "बिहार लोक सेवा आयोग" ।

3. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–4 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(4) सीधी भर्ती ।– संवर्ग में सीधी भर्ती केवल मोटरयान निरीक्षक के पद पर बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की जायगी" ।

4. बिहार परिवहन (तकनीकी) संवर्ग नियमावली, 2003 के नियम–5 का प्रतिस्थापन।– उक्त नियमावली, 2003 के नियम–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

"(5) अर्हताएँ – संवर्ग में मोटरयान निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हताएँ निम्नलिखित होंगी :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा पास; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम);

या

यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम); और

(iii) गियर वाली मोटर साईकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति का धारण करना" ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव,

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–19 / 2018 पटना,दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, ई–गजट शाखा को (दो प्रतियों मे सी0डी0सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ परिवहन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

ह0 / –

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–19 / 2018 पटना,दिनांकः–

प्रतिलिपिः–राज्य सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडली आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–05 / स्था0–01–19 / 2018 6302 पटना,दिनांकः– 8/8/19

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, परिवहन विभाग (सी0डी0 तैयार कर वित्त विभाग ई–गजट शाखा को उपलब्ध कराने हेतु) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/8/19

सरकार के सचिव

552 F:/Ravi sir/Letter